दसवीं अनुसूची

[धारा 147(क) देखिए]

भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 11 में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'3. शीर्ष सं0 11.03 के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनर्पैकिंग करने या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य कार्य करना "विनिर्माण" करना होगा ।';

(2) अध्याय 15 में,—

(?) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'4. उपशीर्ष सं0 1502.00, 1503.00, 1504.00 और 1508.90 के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनर्पैकिंग करने या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य कार्य करना "विनिर्माण" करना होगा ।';

(??) उपशीर्ष सं0 1502.00, 1503.00, 1504.00 और 1508.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,"8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 25 में,—

(?) उपशीर्ष सं0 2502.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "250 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(??) उपशीर्ष सं0 2502.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "400 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 36 में, उपशीर्ष सं0 3605.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 59 में, उपशीर्ष सं0 5906.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 73 में, टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5. शीर्ष सं0 73.04 और 73.05 के पाइपों के संबंध में, सीमेंट या पौलीथिलीन या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों से लेपित करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" होगा ।';

(7) अध्याय 87 में उपशीर्ष सं0 8706.29, 8706.42 और 8706.49 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** दस हजार रुपए प्रति चेसिस" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 2

शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 27 में, उपशीर्ष सं0 2710.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

		"-अन्य :	
	2710.91	--उत्कृष्ट कैरोसीन तेल	16%
	2710.92	--विमानन टर्बाइन ईंधन	16%
	2710.93	--उच्च गति डीजल	16%
	2710.94	--हल्का डीजल तेल	16% **धन** 1.50 रुपए प्रति लीटर
	2710.95	--स्नेहक तेल	16%
	2710.99	--अन्य	16% ।"।

Website: http://indiabudget.nic.in